न्यायालय-अपर सिविल जज(जू.डि.)/जे.एम., कोंच जनपद जालौन।
मूलवाद सं०-217/1997
दशरथ सिंह बनाम बिहारी जी महाराज आदि।
<u>दिनांक 10.05.2022</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर उभयपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली पर समय अन्तराल पर बार-बार पुकार करायी गयी, परन्तु कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली पुनः लंच बाद पेश हो।

अपर सिविल जज (जू०डि०)/
जे.एम.कोंच जनपद जालौन।

<u>लंच बाद</u>

पत्रावली पुनः लंच बाद पेश हुयी। पत्रावली पर समय अन्तराल पर बार-बार पुकार करायी गयी। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि पत्रावली वास्ते निस्तारण 58 क नियत है। लगातार पुकार कराये जाने के बावजूद पक्षकार उपस्थित नहीं हुये। ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकार वाद को आगे अग्रसारित नहीं करना चाहते। ऐसी स्थिति में वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

मूलवाद सं०-217/1997 पक्षकारों की अनुपस्थिति में **खारिज** किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

अपर सिविल जज(जू.डि.)/
जे.एम.,कोंच जनपद जालौन।